उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज
संख्या–334/10/ई–1/2019–20
प्रयागराजः दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

शुद्धि–पत्र

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2021 का विज्ञापन दिनांक 05.03.2021 को जारी किया गया था जिसके क्रम में उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भू0पू0 सैनिक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन में भू0पू0 सैनिक अभ्यर्थियों को केवल समूह 'ग' के पदों हेतु आरक्षण प्रदान किया गया था। उल्लेख्य है कि उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक–16 मार्च 2021 के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2021 के द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2021 में राज्य के अधीनस्थ लोक सेवाओं और तत्सम्बन्धी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने की दृष्टि से उन्हें समूह 'ख' के पदों पर भी पाँच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने का विनिश्चय किया गया है। चूंकि प्रश्नगत विज्ञापन दिनांक 05.03.2021 को जारी किया गया था जिसकी अन्तिम तिथि 08.04.2021 थी जबकि उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2021 को जारी किया गया है, अतः समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी आदि (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2021 विज्ञापन सं0–ए–2/ई–1/2021 दिनांक 05.03.2021 के प्रस्तर–11(ii) के बिन्दु–(ग) को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है कि उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भू0पू0 सैनिकों के लिए समूह 'ग' के पदों की भांति समूह 'ख' के पदों पर भी उपर्युक्तानुसार संदर्भित शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में 5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा तथा आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी।

(जगदीश)
सचिव